

मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग,
मंत्रालय

क्रमांक एफ-53/1/2012/19/यो 833

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी, 2016

प्रति,

1. परियोजना संचालक
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय :- नये निविदा प्रपत्र की कंडिका 27.4 के अधीन कार्यवाही करने संबंधी दिशा निर्देश बाबत।

संदर्भ :- परियोजना संचालक, पीआईयू की टीप क्रमांक 85 दिनांक 25.1.2016

विभागीय कार्यों हेतु पूर्व में लागू अनुबंध प्रपत्र फार्म A की कंडिका-14 के संबंध में निर्णय लि जाने के संबंध में शासन के पत्र क्रमांक एफ 52/1/10/यो/19/4656, दिनांक 3/9/2011 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे।

वर्तमान में विभाग के कार्यों के लिये नये निविदा प्रपत्र दिनांक 1/1/2014 से लागू किया गया है। उक्त निविदा प्रपत्र की कंडिका 27.4 पूर्व लागू अनुबंध की धारा-14 के समान प्रावधान निहित है। अतः शासन के उक्त आदेश दिनांक 3/9/2011 द्वारा जारी निर्देश नये निविदा प्रपत्र की कंडिका 27.4 के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही पर समान रूप से लागू होंगे।

उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

1607 सहपत्र- शून्य।

Prakash
11.02.2016
(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)

सचिव,

म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग
11/2/16

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी, 2016

पृ0क0 एफ 53/1/2012/19/यो, 834

प्रतिलिपि :-

1. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेशपरिक्षेत्र।
2. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक, पीआईयू, मध्यप्रदेशपरिक्षेत्र।



Prakash
11.02.2016
सचिव,

म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग
11/2/16